छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक / पंचा.–2094 / पंग्राविवि / 2015 / 336 नया रायपुर, दिनांक 10/07/2015

प्रति,

1. **समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,**
   जिला पंचायत –छत्तीसगढ़
2. **समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,**
   जनपद पंचायत –छत्तीसगढ़

विषय :– छ.ग. शिक्षक (पं.) संवर्ग (व्याख्याता पंचायत, शिक्षक पंचायत एवं सहायक शिक्षक पंचायत) के कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी, 2015 से मंहगाई भत्ता स्वीकृत करने बाबत्।

––00––

राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार शिक्षक (पं.) संवर्ग के कर्मचारियों (व्याख्याता पंचायत, शिक्षक पंचायत एवं सहायक शिक्षक पंचायत) को दिनांक 01 जनवरी 2015 से निम्नानुसार मंहगाई भत्ते की स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

1. 08 वर्ष से कम सेवा अवधि वाले शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के कर्मचारियों को वर्तमान में 118 प्रतिशत मंहगाई भत्ता प्रदान की जा रही है। दिनांक 01.01.2015 (जनवरी, 2015 का वेतन फरवरी, 2015 में देय) से 06 (छः) प्रतिशत मंहगाई भत्ता (कुल 124 प्रतिशत) प्रतिमाह भुगतान करने की स्वीकृति दी जाती है।
2. समयमान वेतनमान प्राप्त करने वाले शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के कर्मचारियों को वर्तमान में 107 प्रतिशत मंहगाई भत्ता प्रदान की जा रही है। दिनांक 01.01.2015 (जनवरी, 2015 का वेतन फरवरी, 2015 में देय) से 06 (छः) प्रतिशत मंहगाई भत्ता (कुल 113 प्रतिशत) प्रतिमाह भुगतान करने की स्वीकृति दी जाती है।
3. 08 वर्ष एवं उससे अधिक सेवा पूर्ण करने वाले शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के कर्मचारियों को दिनांक 01.01.2015 (जनवरी, 2015 का वेतन फरवरी, 2015 में देय) से 06 (छः) प्रतिशत मंहगाई भत्ता (कुल 113 प्रतिशत) प्रतिमाह भुगतान करने की स्वीकृति दी जाती है।

यह स्वीकृति वित्त विभाग के कम्प्यूटर कमांक F–2015–22–01012, दिनांक 01/07/2015 द्वारा प्रदान की गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
09/07/2015
(शिखा राजपूत तिवारी)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

D:\All_Latter_2015\M_Sir_Ji 2015\GOVT.-15.doc